न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 180 / 2024 अपील (GCMS 2024/228)
पंजीयन दिनांक– 20 / 09 / 2024
निर्णय दिनांक– 19 / 03 / 2025

1. श्री अनवर खां पिता सलीम खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री सनवर खां पिता सलीम खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री सोनु खां पिता सलीम खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती रानी बी पिता सलीम खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्रीमती शबनम बी पिता सलीम खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्रीमती शकिला पिता सलीम खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्रीमती रजिया पिता सलीम खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
8. श्रीमती राबिया पिता सलीम खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
9. श्रीमती इम्तियाज बेगम बेवा सलीम खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
10. श्रीमती अनार बेगम पत्नि शाहजाद खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
11. श्रीमती मुमताज बी पिता शाहजाद खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

12. श्री अलगर खां पिता शाहजाद खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
13. श्रीमती नुरजहां बी पिता शाहजाद खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
14. श्री अकरम खां पिता शाहजाद खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
15. श्री असलम खां पिता शाहजाद खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
16. श्री तोफिक खां पिता शाहजाद खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
17. श्री अख्तर खां पिता अकबर खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
18. श्रीमती जाहीदा पिता अकबर खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
19. श्रीमती रशिदा पिता अकबर खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
20. श्री जाकिर पिता अकबर खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
21. श्रीमती रजिया पिता अकबर खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
22. श्रीमती बतुल पत्नि अकबर खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
23. श्री मेहमुद पिता मेहमुद खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
24. श्री शेरा पिता मेहमुद खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
25. श्री सलमान पिता मेहमुद खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

26. श्रीमती बतुल बी पत्नि शरीफ खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

27. श्री मोहम्मद ईशाक पिता शरीफ खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

28. श्रीमती नजमा पिता शरीफ खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

29. श्री जमिल खां पिता शरीफ खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

30. श्री खलील पिता शरीफ खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

31. श्रीमती रहमत बी पिता शरीफ खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

32. श्रीमती नन्नु उर्फ जीनत पिता शरीफ खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

33. श्री रफिक उर्फ कालु पिता शरीफ खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

34. श्रीमती मुन्नी पिता शरीफ खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

35. श्रीमती खातुन बेगम बेवा शरीफ खां मुसलमान, निवासी पीपल चौक, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलांट्स

बनाम

1. श्री मदननाथ पिता जगन्नाथ जाति नाथ, निवासी इन्द्रा नगर बड़ी टंकी के पास, नीमच, तहसील व जिला निमच (मध्यप्रदेश)

2. श्री अरविंद पिता अम्बालाल अग्रवाल, निवासी सब्जी मण्ड़ी, निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

3. श्रीमती मधुबाला पत्नि मुकेश कुमार मुंदडा, निवासी चांद खेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः—

1.	श्री नरेश जणवा	अधिवक्ता अपीलांट्स
2.	श्री लोकेश मेनारिया / श्री ज्ञानचंद धाकड़	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3.	श्री सुमित भण्डारी	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 **(बवक्त बहस अनुपस्थित)**
4.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 09/2024 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956, निर्णय दिनांक 03.09.2024

<u>निर्णय</u>

दिनांक 19/03/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 09/2024 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 03.09.2024 के विरूद्ध दिनांक 19.09.2024 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र एवं धारा 96 जाप्ता दीवानी के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135 (2) राजस्थान

भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय अन रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री ताराचन्द पुत्र घनश्यामदास महाजन निवासी मंदसौर, मध्यप्रदेश के स्वामित्व आधिपत्य की आराजी ग्राम निम्बाहेडा, पटवार हल्का निम्बाहेडा–ए, की खाता संख्या 296 की आराजी संख्या 477 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 478 रकबा 0.0100 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 479 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.0400 हैक्टेयर व खाता संख्या 1041 की आराजी संख्या 1286 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1303 रकबा 0.1800 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1315 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.4100 हैक्टेयर स्थित है, जिसके आराजी संख्या 1286 के साबिक आराजी संख्या 975 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 1303 के साबिक आराजी संख्या 986 रकबा 14 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1315 के साबिक आराजी संख्या 995 रकबा 4 बिस्वा व आराजी संख्या 477 के साबिक आराजी संख्या 320 मीन रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा आराजी संख्या 478 जिसके साबिक आराजी संख्या 320 मीन व आराजी संख्या 479 जिसके साबिक नम्बर 320 मीन की श्री ताराचन्द्र पुत्र घनश्यामदास महाजन निवासी मंदसौर, मध्यप्रदेश द्वारा सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर दिनांक 03.03.1977 को प्रार्थी के नाम वसीयत की गई है, के आधार पर प्रार्थी के नाम नामांतरकरण दर्ज किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 09/2024 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 03.09.2024 से रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03.09.2024 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:–*''अतः श्री मदननाथ पिता जगन्नाथ जाति नाथ, निवासी इन्द्रा नगर, बड़ी टंकी के पास, नीमच, तहसील व जिला नीमच, मध्यप्रदेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया*

जाता है इनके द्वारा प्रस्तुत अन रजिस्टर्ड वसीयत नामा तीन रूपये के स्टाम्प नम्बर 315 दिनांक 03.03.1977 के अनुसार मृतक ताराचन्द पिता घनश्यामदास, निवासी मंदसौर, इन्द्रा नगर, नीमच में निवासरत की मृत्यु दिनांक 21.01.1984 को होने के पश्चात् इनके द्वारा की गई अन रजिस्टर्ड वसीयत नामा तीन रूपये के स्टाम्प नम्बर 315 दिनांक 03.03.1977 के अनुसार (चल–अचल संपत्ति) ग्राम निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा–ए, तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 296 की आराजी संख्या 477 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 478 रकबा 0.0100 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 479 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.0400 हैक्टेयर व खाता संख्या 1041 की आराजी संख्या 1286 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1303 रकबा 0.1800 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1315 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.4100 हैक्टेयर स्थित है, जिसके आराजी संख्या 1286 के साबिक आराजी संख्या 975 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 1303 के साबिक आराजी संख्या 986 रकबा 14 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1315 के साबिक आराजी संख्या 995 रकबा 4 बिस्वा व आराजी संख्या 477 के साबिक आराजी संख्या 320 मीन रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा आराजी संख्या 478 जिसके साबिक आराजी संख्या 320 मीन व आराजी संख्या 479 जिसके साबिक नम्बर 320 मीन को श्री मदननाथ पिता जगन्नाथ जाति नाथ आयु 68 वर्ष निवासी इन्द्रा नगर, बड़ी टंकी के पास, नीमच, तहसील व जिला नीमच मध्यप्रदेश के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।"

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश मेनारीया एवं श्री ज्ञानचंद धाकड़ उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमित भण्डारी बवक्त बहस अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट

संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 12.03.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने जाली अधिकार पत्र का निष्पादन दिनांक 24.10.2019 को किया था तथा उसके आधार पर दिनांक 31.12.2019 को विक्रय पत्र का निष्पादन करवा दिया जिसकी जानकारी अपीलांट्स को होने से उन्होंने उक्त विक्रय पत्र निरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत प्रकरण अति. जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम संख्या 1, निम्बाहेडा में पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2023 को स्थाई निषेधाज्ञा पारीत की जाकर भूमि के रेकर्ड तथा हस्तांतरण नही करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को पाबंद किया गया है। इससे रेस्पोडेंट्स को सफलता नहीं मिली तो रेस्पोडेंट्स द्वारा षडयंत्र पूर्वक एक कुट–रचित वसीयत बनाई तथा उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि अपने नाम दर्ज करवाई गई, उक्त आदेश विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स द्वारा पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी का पेश किया तथा पटवारी हल्का के द्वारा मौका रिपोर्ट भी तलब की गई उक्त दोनों दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मृतक की मात्र विरासत की जांच की गई, जो भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को धोखे में रख कर निर्णय प्राप्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उक्त भूमि बाबत् कोई जांच नहीं की गई। उक्त भूमि पर भौतिक रूप से किसका कब्जा है, और कोन उस पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है, क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 नीमच, मध्यप्रदेश में निवासरत है। विवादित भूमि पर अपीलांट्स उसके दादा पर–दादा के समय से काबिज होकर के काश्त कर रहे है, क्योंकि उक्त भूमि खातेदार ताराचंद को मुम्बई में व्यापार करने के लिए धनराशि की

आवश्यकता होने से वर्णित भूमि को विक्रय करने से उसका संपूर्ण मुल्य प्राप्त कर भौतिक कब्जा बाबर खां को सिपुर्द कर दिया था, तब से आदिनांक तक उक्त भूमि पर कब्जा अपीलांट्स निरंतर होकर बाबर खां द्वारा संवत् 2027 में कुआं खुदवाया था, जिसका शिलालेख कुएं पर लगा हुआ है। अतः उक्तानुसार उक्त वर्णित/विवादित भूमि पर कब्जा अपीलांट्स का होकर निरंतर काश्त करते चले आ रहे है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम निम्बाहेडा की प्रकरण में वर्णित आराजीयात श्री ताराचंद पिता घनश्यामदास जाति महाजन, निवासी मंदसौर, मध्यप्रदेश के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही थी तथा अत्यधिक वृद्धावस्था होने से व परिवार में कोई व्यक्ति नहीं होने से अपने विश्वासी रेस्पोडेंट संख्या 1 ताराचंद की चेवा चाकरी कर रहा था तथा सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर दिनांक 03.03.1977 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में अपनी संपूर्ण जायदाद ओर उपरोक्त वर्णित आराजीयात की वसीयत कर दी थी। वसीयत का निष्पादन रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में गवाहन की उपस्थिति में ताराचंद ने अपने हस्ताक्षर किये। वसीयतकर्ता ताराचंद लाऔलाद दिनांक 21.01.1984 को नीमच में फौत हो चुके थे, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी होकर उक्त वसीयत पूर्णतया वैध व प्रभावी हो चुकी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 वसीयत के आधार पर उक्त कृषि भूमि का एकमात्र मालिक स्वामी होकर उपयोग उपभोग कर है। अतः उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेडा के यहां वसीयत के आधार पर उक्त विवादित भूमि का नामांतरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच गयी तथा उक्त भूमि बाबत् उजदारी सूचना भी दैनिक अखबार में प्रकाशित की जाने के उपरांत उचित एवं नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट 2 राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवान ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 03.09.2024 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील पर गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय अन रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 09/2024 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 03.09.2024 से रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.09.2024 की अपील अपीलांट्स द्वारा दिनांक 19.09.2024 को अंदर मयाद पेश की गयी है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ दफा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विधि के सुस्पष्ट प्रावधानों के दृष्टीगत हम यहां सवप्रर्थम प्रार्थना पत्र दफा 96 जाप्ता दीवानी पर विनिश्चिय किया जाना उचित समझते है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 03.09.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स पक्षकार नहीं थे। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के

अन्तर्गत ही अपील पेश की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है, तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। जो व्यक्ति किसी आदेश या निर्णय में पक्षकार नहीं है, वह अपील में बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये पक्षकार नहीं बन सकते है।

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1993 RRD 44 में निम्न सारांश प्रतिपादित किया हैः–

"SECTION 96 The fact that a party is an aggrieved person does not by itself entitle him to file an appeal if he was not a party to the dispute in the lower court He must obtain the permission of the court for filing the appeal before actually doing so An appeal filed without obtaining permission from the court of appeal is incompetent and cannot be maintained"

इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत 1993 RRD 232 (DB) में निम्न सारांश प्रतिपादित किया हैः–

"CODE OF CIVIL PROCEDURE & SECTION 96-A PERSON WHO IS NOT A PARTY TO AN ORDER OR DECREE CANNOT PREFER AN APPEAL AGAINST SUCH ORDER OR DECREE WITHOUT THE LEAVE OF THE COURTAN APPEAL FILED WITHOUT LEAVE OF THE IS INCOMPETENT"

उपरोक्त विधिक स्थिति एवं न्यायिक दृष्टांतो के आलोक में क्या अपीलांट्स इस अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति है अथवा नहीं, इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया और परिक्षणोपरांत जाहिर होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त वर्णित आराजीयात का वसीयत के आधार पर नामांतरकरण अमल–दरामद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर दिनांक 03.09.2024 को आवेदक के पक्ष में नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किया गया, जिसमे अपीलांट्स पक्षकार नहीं थे। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में

तृतीय पक्ष को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। तृतीय पक्ष व्यथित नहीं हो सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट्स व्यथित/हितबद्ध व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसके पक्ष/विरूद्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि विवादित भूमि का वह खातेदार काश्तकार रहा हो। इस प्रकार नामांतरकरण की कार्यवाही को चुनौती देना न्यायसंगत नहीं है। यहां हम विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक निर्णय/न्यायिक दृष्टांतो में प्रकट अभिमत का प्रकरण के तथ्यों के परिपेक्ष्य में भी परिक्षण किया जाना उचित समझते हैः–

माननीय उच्च न्यायालय मे आर. एल. डब्लयु. 2011(2) आरजे 810 (एचसी) में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है किः–

Rajasthan Land Revenue Act, 1956, Secs.90-B- 'Aggrieved person' within the meaning of sec.90B(7) and locus standi of respondent "Vikas Samiti" to file appeal against an order converting the use of agriculture land into commercial use - Held – Appeal u/s. 90-B can be filed by aggrieved person, the land owner himself – The appeal filed by stranger, the Vikas Samiti was incompetent and not maintainable – The order passed by Divisional Commissioner was wholly without jurisdiction – Quashed and set-side.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 7728–2012 दिनांक 08.11.2022 में माना है किः–

Administratio of Justice – Locus standi – Aggrieved party – Only a person who has suffered, or suffers from legal injury can challenge the act/ation/order etc. in a court of law – A stranger cannot be permitted to meddle in any proceedings.

माननीय राजस्व मण्डल ने (2012) 2 RLW (RJ) 961 में माना है किः–

Rajasthan land Revenue Act, 1956- Sec 90-B- Maintainbility of appeal before the Divionsal Commissioner Application for conversion of land for residential purpose Land converted and recorded in the name of Municipal Council & Appeal against the orer allowed by Divisional

Commissioner Revision held Divisional Commissioner is not empowered appeal against the order passed u/s- 90B(3)- Third party cannot be aggrieved person Neighbouring khatedars have no right to file objections or appeal– order set side.

वर्णित न्यायिक दृष्टांतों अनुसार भू–स्वामी ही अपील प्रस्तुत कर सकता है, उक्त न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण से सुसगत होकर चस्पा होते है, क्योंकि अपीलांट्स विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है और न ही व्यथित व्यक्ति है, ऐसे में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में भी अपीलांट्स की अपील पोषणीय नहीं है।

प्रकरण में अब हम न्यायहित में अपील में अपीलांट्स द्वारा वर्णित उजरात के विवेचन व बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बरूए गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं।

अपीलांट्स का मूल कथन/उज्र षडयंत्र पूर्वक कुट–रचित वसीयत बनाई गयी है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आवेदन बाबत् वसीयत पर अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा उजरदारी जाहीर सूचना दिनांक 16.07.2024 को जारी की गई। उजरदारी सूचना संबंधित तहसीलदार, मंदसौर एवं नीमच को पत्र दिनांक 16.07.2024 से लिखा गया एवं पटवार भवन निम्बाहेडा, सूचना पट्ट तहसील कार्यालय, निम्बाहेडा, तहसील कार्यालय नीमच एवं मंदसौर, मध्यप्रदेश एव रजिस्ट्रार कार्यालय, मंदसौर में चस्पा की गयी तथा समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया, जिसमें उक्त वसीयत से संबंधित कोई आपत्ति हो या अन्य कोई स्थगन/वाद विचाराधीन हो तो तहसील कार्यालय, निम्बाहेडा में 10 दिवस में अपना आवेदन/उजरदारी प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परंतु मयाद निकले के उपरांत भी किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी प्रकार की कोई भी उजरदारी/आवेदन पेश नहीं किया गया। प्रस्तुत वसीयत एवं गवाहान के सशपथ लिखित बयानों का अवलोकन किया गया एवं

प्रस्तुत दस्तावेजों पर गहनता से मनन व चिंतन किया गया, जिससे स्पष्ट जाहीर है कि वसीयतकर्ता के कोई जाईंदा संतान नहीं होने से अपने नाम दर्ज भूमि की वसीयत रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम वसीयत लिखी गई, जो अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के लिखि होना गवाहों के बयानों से प्रतीत होता है। साथ ही उक्त वसीयतनामा साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत 30 वर्ष से अधिक पुराना दस्तावेज है, जो स्वयं सिद्ध है तथा साक्ष्य के अनुसार अन रजिस्टर्ड वसीयतनामा तीन रूपये के स्टाम्प नम्बर 315 दिनांक 03.03.1977 अंतिम होकर षडयंत्र पूर्वक कुट रचित दस्तावेज प्रतीत नही होने तथा संबंधित पटवार हल्का एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार यथा नीमच एवं मंदसौर, मध्यप्रदेश से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित एवं नियमानुसार निर्णय पारित किया है। अतएव उक्त कथन/उज्र माने जाने योग्य नही है।

अपीलांट का अन्य कथन यह है कि रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने जाली अधिकार पत्र का निष्पादन दिनांक 24.10.2019 को किया तथा उसके आधार पर दिनांक 31.12.2019 को विक्रय पत्र का निष्पादन करवा दिया जिसकी जानकारी अपीलांट्स को होने से उन्होंने उक्त विक्रय पत्र निरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत प्रकरण अति. जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम संख्या 1 निम्बाहेडा में पेश किया, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2023 को स्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है।

न्यायालय अति. जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम संख्या 1 निम्बाहेडा में प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट द्वारा फर्जी एवं कुट–रचित दस्तावेज के आधार पर भूमि का पंजीयन कराये जाने से विक्रय पत्र को निरस्त कराने के संबंध में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रकरण में रेस्पोडेंट्स को भूमि के रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखने तथा हस्तांतरण नही करने हेतु पाबंद किया गया था, जबकि अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 वसीयतग्रहिता श्री मदननाथ को उक्त प्रकरण में पक्षकार ही संस्थित

नही किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलांट्स रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री मदननाथ के विरूद्ध अति. जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम संख्या 1 निम्बाहेडा के न्यायालय में कोई कार्यवाही नही चाहता है तथा इस बाबत अपीलांट्स ने अपने अपील मेमों के कलम संख्या 2 में स्वयं द्वारा वर्णित किया गया है कि निषेधाज्ञा से केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को पाबंद किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 चाहे तो अति. जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम संख्या 1 निम्बाहेडा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार बनकर कार्यवाही में सम्मिलित हो सकाता है। अतएव उक्त उज्र समायत योग्य नहीं है।

अपीलांट्स का अन्य कथन यह है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के महल कयासी आधारों पर विश्वास करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया, जबकि उक्त भूमि बाबत मौका रिपोर्ट तलब नही की गई।

प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित पटवारी हल्का एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार नीमच एवं मंदसौर, मध्यप्रदेश से प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त कर तथा उजरदारी सूचना प्रकाशन उपरांत विधिवत कार्यवाही अपनायी जाकर प्ररकण में निर्णय पारित किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अतएवं उक्त उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

अपीलांट्स का अन्य कथन यह है कि उक्त विवादित भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से उस पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, क्योंकि भूमि उसके खातेदार ताराचंद द्वारा व्यापार में धनराशि की आवश्यकता होने से अपीलांट्स को विक्रय की गई थी।

प्ररकण में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा उक्त विवादित भूमि के खातेदार से भूमि क्रय करने बाबत कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली में

उपलब्ध नहीं है तथा ना ही अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य इस न्यायालय में पेश किये है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त भूमि पर अपीलांट्स का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा रहा हो। अतएव उक्त उज्र भी माने जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलांट्स व्यथित/हितबद्ध पक्षकार नहीं होने तथा अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर भी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेडा के निर्णय दिनांक 03.09.2024 को यथावत रखा जाता है। अपीलांट अपने हक अधिकार तय कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर